मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2016 (फाल्गुन 19, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 145 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 162 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. शून्यकाल में उल्लेख

जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक होने संबंधी निबंध विषयक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग को लेकर व्यवधान होने पर कार्यवाही स्थगित की जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा जातिगत आरक्षण के विषय पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर शासन का उत्तर एवं चर्चा की मांग की गई. अध्यक्षीय अनुमति से डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि संबंधित प्रश्न पत्र की सेटर और मॉडरेटर पर कार्रवाई कर दी गई है. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि पहले शून्यकाल होने दें, किन्तु विपक्ष के सदस्यगण द्वारा इस मामले में कार्यवाही में लगातार व्यवधान करने के कारण, सदन की कार्यवाही 11.38 बजे 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 11.52 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने रतलाम के ग्राम अम्बा की विधवा महिला की भूमि पर कब्जा होने,
(2) श्री संजय पाठक, सदस्य ने विजय राघवगढ़ स्थित शाला बंजारी के शिक्षक द्वारा अनियमितता की जाने,
(3) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने नीमच के भादवा में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(4) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने भोपाल के नरेला विधान सभा क्षेत्र के वार्डों में अतिक्रमण किये जाने,
(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य ने तेंदूखेड़ा गाडरवाड़ा सड़क मार्ग निर्माण कार्य अपूर्ण होने,
(6) श्री संजय उइके, सदस्य ने बैहर के मलाजखण्ड माईन्स ऐरिया में महाविद्यालय का भवन न होने,
(7) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन में जननी सुरक्षा में लगी वाहनों का भुगतान न होने,
(8) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य ने इन्दौर के मांगलिया में वाहनों से शुल्क वसूली की जाने,
(9) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य ने ग्वालियर जिले में पेयजल संकट होने तथा
(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले में मनरेगा के कार्यरत मजदूरों का भुगतान न होने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री रामनिवास रावत एवं सुन्दरलाल तिवारी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण जातिगत आरक्षण मामले को लेकर गर्भगृह में आए एवं अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गए.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 की धारा 13 (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक एफ ए-3-42-2015-1-पांच (29), दिनांक 19 अगस्त, 2015 एवं
- (ii) क्रमांक एफ-ए-3-54-2015-1-पांच-(32), दिनांक 29 सितम्बर, 2015 तथा

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 71 (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक एफ ए-3-63-2015-1-पांच (39), दिनांक 09 दिसम्बर, 2015,
- (ii) क्रमांक एफ ए-3-63-2015-1-पांच (40), दिनांक 09 दिसम्बर, 2015
- (iii) क्रमांक एफ-ए 3-58-2015-1-पांच (44), दिनांक 17 दिसम्बर, 2015,
- (iv) क्रमांक- ए-58-2015-1-पांच-(36), दिनांक 13 नवम्बर, 2015,
- (v) क्रमांक एफ-ए 3-53-2015-1-पांच (38), दिनांक 01 दिसम्बर, 2015
- (vi) क्रमांक–ए-3-60-2015-1-पांच-(35), दिनांक 13 नवम्बर, 2015 तथा
- (vii) क्रमांक एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (02), दिनांक 02 जनवरी, 2016

पटल पर रखीं.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 43 वां, 44 वां एवं 45 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 पटल पर रखे.

6. ध्यान आकर्षण

(1) श्रीमती अर्चना चिटनिस, श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने स्वकराधान योजना के तहत पंचायतों को राशि न मिलने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले में भू-जल स्तर नीचे गिरने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - “सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2016-2017 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, शुक्रवार दिनांक 18 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(4) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(5) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(6) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मन्दसौर)
(8) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(9) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(12) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(13) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(14) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(15) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(16) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(17) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(18) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(20) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(21) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(22) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)
(23) श्री घनश्याम पिरौनियां (जिला-दतिया)
(24) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(25) कुँवर विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(26) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(27) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य (जिला-खण्डवा)
(28) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(29) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
(30) श्री हर्ष यादव, सदस्य (जिला-सागर)
(31) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(32) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)

9. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए ग्यारह हजार चार सौ चौरासी करोड़, चौबीस लाख, बाईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार छ: सौ सात करोड़, उन्नीस लाख, छियासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए पांच हजार चवालीस करोड़, तैंतीस लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए दो सौ चौरासी करोड़, दो लाख, इकतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए आठ सौ सैंतालीस करोड़, छिहत्तर लाख, छियानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें के लिए तेईस करोड़, चार लाख, दो हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए दो सौ चवालीस करोड़, इक्यावन लाख, चौरासी हजार रुपये तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए बहत्तर करोड़, चौबीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

10. अध्यक्षीय घोषणा
वित्त विभाग की मांग पर चर्चा न की जाने विषयक

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, अध्यक्ष ने घोषणा की कि पूर्व परम्परानुसार वित्त विभाग की मांगों को छोड़कर शेष मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ की जाएगी.

11. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

मांगों पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुन्दरलाल तिवारी

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री शैलेन्द्र पटेल
(7) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(8) कुंवर सौरभ सिंह
(9) श्री के.के. श्रीवास्तव
(10) श्री प्रताप सिंह
(11) पं. रमेश दुबे

(12) श्री सुखेन्द्र सिंह
(13) श्री दिलीप सिंह परिहार
(14) श्री हरदीप सिंह डंग

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(15) श्री देवेन्द्र वर्मा
(16) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(17) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(18) डॉ. रामकिशोर दोगने
(19) श्री दुर्गालाल विजय
(20) श्री जतन उइके
(21) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(22) श्रीमती झूमा सोलंकी
(23) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(24) श्रीमती सरस्वती सिंह
(25) श्री वैलसिंह भूरिया
(26) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(27) श्री आर.डी. प्रजापति
(28) श्रीमती ममता मीना
(29) श्री सचिन यादव
(30) श्री लखन पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(31) कुं. हजारीलाल दांगी
(32) श्री इन्दर सिंह परमार
(33) श्री जालम सिंह पटेल
(34) श्रीमती ऊषा चौधरी

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(6) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 10 वन के लिए दो हजार एक सौ सत्तर करोड़, पैंतालीस लाख, नौ हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) कुंवर विक्रम सिंह
(2) श्री जालम सिंह पटेल

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिये सदन की लॉबी में स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

(3) श्री सुखेन्द्र सिंह
(4) श्री आर.डी. प्रजापति
(5) श्रीमती झूमा सोलंकी

(6) श्री वैल सिंह भूरिया
(7) श्रीमती सरस्वती सिंह
(8) श्रीमती शीला त्यागी
(9) कुंवर सौरभ सिंह
(10) श्री कमलेश्वर पटेल
(11) श्री पन्नालाल शाक्य
(12) श्री रामनिवास रावत
(13) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.05 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2016 (20 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 मार्च, 2016